GUIDING TIPS FOR CRIME INVESTIGATION

WRITTEN BY

DR J R GAUR

RETD DIRECTOR FORENSIC SCIENCE LABORATORY

HIMACHAL PRADESH

“All rights of the pamphlet are reserved with the author, including the right to translate or to reproduce the same or parts therreof except for brief quotations in critical reviews. the views are that of the author and not that of BPR&D”

GUIDING TIPS FOR CRIME INVESTIGATION

1. FIRST INFORMATION REPORT (FIR)

- Not to register FIR on the basis of facts, rather, writing on the basis of conventional stories when oral statements are given by the victims or eyewitnesses. The Courts disbelieve such stories and do not trust the investigation and the cases fail in the Court of Law.
- To show scene of crime elsewhere than actual place of incident which is not verified by the physical / circumstantial evidence. The cases fail in the Court of Law because of this problem.
- Sometimes, the details of body wears and injuries mentioned in the police inquest report do not match with the postmortem report. This creates doubt and the benefit of doubt goes to the accused. The portrait parle of the victim or deceased mentioned in the FIR alongwith height of the deceased are also sometimes different than postmortem report, It also creates doubt in the mind of the Court.
- At the time of drafting the FIR, not to incorporate the correct ingredients of section of IPC mentioned in the FIR, and to mention individual's role in crime separately, it does not state clearly what specific offence is made out.
- If the FIR is written before visiting the scene of crime, it should be mentioned in FIR as it makes the situation more clear in the Court of Law.

2. SCENE OF CRIME

<u>Preservation</u>

- Scene of Crime is not preserved properly (Anybody can fabricate or destroy evidence which should be avoided).
- Scene of crime is not examined undelayed. (As the time passes on the probability of physical evidence being destroyed increases).

- The physical evidences are destroyed un-intentionally and inadvertently by the hands and feet of the investigating officer while walking at the scene of crime (walk and handle different articles carefully so that appropriate physical evidence could be located and preserved.)

Examination

- Rubber gloves are not worn at the time of scene of crime examination (the expert and investigating officer can leave their finger prints and biological evidence on different articles).

Lifting

- Fingerprints, footprints, tyremarks and toolmarks are not lifted from the scene of crime or when lifted proper procedure is not followed, by doing so we loose important evidence which can give a lead in deciding the case by the court of law.
- Empty cartridges and fingerprints lifted from scene of crime are not sent to Forensic Science Laboratory and Finger print Bureau for preservation in safe custody before the arrest of the accused(s). (This creates doubt in the mind of the Court as such evidence can be padded after the arrest of the accused).

Packing

- FIR numbers is not mentioned on all relevant documents and articles at the time of registering the case and packing of articles. (Later on it creates confusion which documents and articles pertain to which case).

Sketching

- ‘Naksha-mauka (sketch of scene of crime) is not prepared properly. (It should depict clear picture of the scene of crime).
- Location of nearby landmarks and directions are not mentioned in the map/sketch. (It does not permit correlation of events and evidence).
- Map may be notional but distance between articles be mentioned on the map. (It presents clear picture of articles).

- Sketch of the scene of crime is not prepared after mentioning direction at the scene. (Such sketch map does not give information about directions at the scene).

Photography and Videography

- Photography and Videography must be done. (It preserves the scene in situ).
- Photographs of the scene of crime, the victim of crime and injuries are not taken after placing measuring scale. FIR number is not mentioned in the photographs. (Size of articles and injuries cannot be estimated from photographs and the photographs cannot be co-related with the case).

3. **MISTAKES USUALLY COMMITTED BY THE INVESTIGATING OFFICERS WHILE LIFTING, PACKING, PRESERVATION AND FORWARDING EXHIBITS TO THE LABORATORY FOR EXAMINATION**.

Packing

- Packing of the exhibits should be in such a way that the evidences are not damaged. (Consult packing instructions for every evidence).
- All the remnants should be collected properly and packed items wise separately. (Avoids confusion).
- Not to mention details of exhibits contained in the parcels on the wrapper (It does not indicates what is contained in the sealed parcel).

Sealing

- The seals affixed on the parcel are not legible (creates doubt of tempering with the exhibits).
- Sample seal is not sometimes legible. (Creates doubt in the mind of FSL and the court).
- Sample seal is not sent attested by the investigating officer. (Required for authenticity).

- The details of exhibits mentioned on the cover of the parcel sometimes get destroyed due to leakage of the fluids from the parcel. (Creates doubt, leak proof containers should be used).

Forwarding

- Road Certificate is not sent alongwith the exhibits. (It is a necessity for the court to prove the chain of custody of the exhibits).
- The details of parcels mentioned in the road certificate do not match with the docket being sent. (Case will not be accepted for examination by FSL under these circumstances).
- Authorisation certificate for examination from a gazette officer is not sent alongwith the parcels. (Case would not be accepted by FSL).
- The exhibits are not sent immediately after recovery for examination in the laboratory. (Bilogical samples get purified and become unfit for examination and give inclusive results).

Questionnaire

- Questions for asking opinion must be specific and clear. (Suo-moto report cannot be given by FSL and FPB)

(a) Biological Evidence

(i) Blood and other Biological fluids and stained exhibits.

- Lifting the exhibits with naked hands without wearing gloves and to mix biological evidence of the I.O. himself/herself. (Wear Gloves).
- To pack the exhibits / garments etc. without drying. (It destroys the evidence dry the exhibits).
- Not to preserve the biological exhibits (blood, semen, saliva & vaginal secretion) on FTA cards. (Creates problems in DNA analysis as the samples get putrefied).
- To lift insufficient samples for examination. (Send atleast 10 hair, 1x1 inch blood stain or 20 nano gm DNA).

(ii) Hair

- Not to pack mixed hair in brown paper, white hair in coloured paper and black hair in white paper envelope. (Hair can be lost).
- Not to pack atleast 10 hair samples from the suspect / accused. (Below 10 hair insufficient sample).
- Not to send pulled hair with roots for examination. (Cellular DNA / Nuclear DNA analysis cannot be done).

(iii) Bones

- Bones are not sent after getting them cleaned from the Doctor. (Fungus grows on un-cleaned bones and destroys the evidence).
- Preservation of proper bones like Humerus, Femur or Tibia for DNA examination is not done. (Leads to inconclusive results).
- IOs do not pack and forward burnt bones after wrapping in cotton wool in a hard box. (Such bones are fragile and can break further).

(iv) Plants remnants (Stems, Seeds and Leaves, etc.)

- Not taking sufficient samples for examination. (2x2 inch wood pieces, 5 seeds and 5 leaves should at least be sent).
- IOs do not pack every sample separately so that they do not break further. (This can destroy that evidence).
- IOs do not protect plant samples from moisture. (The fungal growth deteriorates the samples due to moisture).

(v) Blood Stained Weapons

- While sending weapons like Gun, Club, Dagger, Hacksaw, Sword, etc. not to protect blood stains and hair etc., should be protected after wrapping in white paper

with the help of a thread. (The stain can get destroyed due to rubbing without paper wrapping).

(b) Chemical Evidences

(i) Viscera

- Doctors do not preserve viscera in normal saline instead preserving the same in Hydrochloric Acid, Nitric Acid and Sulphuric Acid or Formalin solution. This leave viscera unfit for examination.
- IOs do not send viscera immediately for examination. Viscera putrefies and becomes unfit for examination. There can also be self generation of alcohol in putrefied viscera.
- Sufficient samples of viscera for examination is not taken. (Take at least 50 gms of viscera and 5 ml of blood and urine sample each).
- IOs do not send blood and urine samples for detection of Alcohol along with viscera. (Alcohol detection from putrefied viscera in the absence of blood and urine samples can give misleading results).
- To send leaking jars of viscera for examination. (Causes inconvenience to the person carrying it and is also nuisance to the public in transport).
- In poison cases must send vomit and stomach wash for examination. (It leads to detection of poison in some cases).
- IOs do not lift fingerprints from the poison and alcohol containers lying at the scene of crime. (If lifted can guide whether victim handled the same or somebody else).

(ii) Phenolphthalein Sample

- In the cases of catching red handed in bribery cases the hand wash and pocket wash samples are taken in tap

water which is mostly chlorinated. The pink colour of Phenolphthalein gets decolourised in these samples before sending the same to the laboratory for examination. It is advisable that the hand wash pocket wash samples of Phenolphthalein should be taken in distilled water or water from hand pump. (It creates doubt to witnesses as they tell the Court that the water was not pink and the case ends in the acquittal.

(iii) Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

- The samples is taken in insufficient quantity for examination. (Send at least 1 to 2 gms of the sample). The correct weight of NDPS substance is not mentioned in the docket. (Leads to disowning of samples in the court and hence acquittals).
- Homogenous representative samples are not sent. (Which is a necessity as per Supreme Court orders).
- Spot Test Kits are not utilized fully due to lack of operational knowledge. (Samples are not identified at the spot).
- The search of the suspect / accused is not carried out as per provisions of NDPS Act and the Investigating Officer does not offer his own search before hand to the suspect / accused. If at all search is carried out as per provisions, the requisite documents are not placed on the case file which forfeit the purpose of the search in the Court of Law. (Leads to acquittals).
- Exhibits are not sent for examination to Forensic Science Laboratory within 24 hours as per the provisions of NDPS Act. (Leads to acquittals).
- NCB Forms are not filled in triplicate and sent to Forensic Science Laboratory alongwith the documents. (Necessity of the procedure).

- Sometimes sample seal used in sealing the parcel is not affixed on the NCB Forms. (Cases shall not be accepted by FSL). The number of seals affixed on the parcel is not indicated in the documents being sent. (Creates doubt and leads to acquittals). Affixed seal and sample of seal are sometimes not legible. (Gets the benefit of doubt to the accused). When two type of seals are used in sealing and re-sealing of the parcels the same should be mentioned. (It creates doubt).

(iv) Other Cases of Chemical Examination

- In excise cases for the examination of alcohol, random samples, are not sent instead, the whole of the lot is sent in the Laboratory for examination. (Increase workload on the FSL).
- Samples of the poisonous gases are not taken in balloons. The remnant of petroleum products present in the burnt debris are not packed in airtight containers. The volatile substance further evaporates till examination and the positive results are not obtained due to faulty packing.
- In the case of poisoning due to gases blood samples are not sent for examination to the Laboratory. (A vital evidence is lost).
- The acids and alkalis are not contained and sent in glass and plastic bottles as required. (Leads to accident while transporting).

(c) Physics, Ballistic and Explosive Evidence

(i) Physics Evidences

- IOs do not preserve and send tool and tool marks for examination and comparison (Loose vital evidence).

- IOS do not send homogenous representative samples of cement, concrete, mortar and other building material samples for examination. (Required for judicious examination).
- IOs do not send footprints, tyre marks, plaster casts properly packed. These exhibits break down on the way due faulty packing. (Loose vital evidence).
- In stolen vehicles cases vehicles are immediately not sent to Forensic Science Laboratory for the restoration of engine and chassis numbers. (This causes damage to public property as the vehicles become wreckage).
- To preserve paint pieces collected from scene of crime in a paint box. (Contaminates the sample as paint from paint box gets mixed up with the sample).

(ii) <u>Firearms</u>

- IOs do not send bullets, pallets, wads and empty cartridges recovered from the scene of crime to the Forensic Science Laboratory for preserving in safe custody before the recovery of the firearm. (Creates doubt of padding).
- IOs do not empty firearms before sending to Laboratory. (It can cause accidental firing).
- To not to pack firearms completely in a cotton bag. (Exhibit can be tempered with).
- To not to pack bullets and empty cartridges in cardboard boxes after wrapping the same in cotton wool. (Additional marks can be caused).
- To send blood stained bullets and pallets to the Laboratory for examination after getting them washed. (Blood evidence is lost).
- Recovery memo is not got signed by two independent witnesses while taking exhibits in custody. (Evidence has no value in the Court of Law).

(iii) Explosives

- Not to travel in public transport along with live explosives/ IED. Same should be brought after diffusing.
- To take IED without diffusion from point of detection to the Laboratory for examination. (Can caused accidental explosion).
- IOs do not pack explosive as per SOP for carrying them to the Laboratory. (Can cause accident).
- IOs do not take swabs of the gun shot residues from hands of the deceased and the suspected person for examination. (This if done can link the firm arm with the firing person).

(d) <u>Paper and Electronic Documents</u>

(i) <u>Paper Documents</u>

- Sample signature / writings are not taken in sufficient number for comparison. (Should be at least five sheets).
- Admitted signatures / writing are not sent for examination and comparison. (Leads to inconclusive results).
- Sample writings are not taken before authorised witness / authorised officer. (The court do not admit the reports).
- IOs do not take samples on the same type of paper and with the same type of pen / writing instrument which has been used in the questioned writing. (Causes more natural variations).
- IOs do not mark separately questioned and sample writings. (Creates confusion at the time of examination).
- To write down something else on the questioned and sample documents. (Leads to confusion).
- IOs do not preserve burnt documents / currency notes by spray of cellulose acetate / cellulose nitrate solution

before sending them to Laboratory. (Such exhibits are fragile and further break into pieces).

- To not send print of same typewriter / printer which has been used in the preparation of suspected document for comparison. (Leads to inconclusive results.)

(ii) Electronic Documents

-
- After taking computer, hard disc, pen drive, CDs, DVDs, Floppies, magnetic tape, DPU, etc. in custody from the scene of crime, the police should not operate them, otherwise the 'Hash value' of these document would change. The evidence which would be obtained from these electronic documents would become suspected in the eyes of the Court. So, running of such documents after recovery should strictly be prohibited.
- IOs do not send empty hard disc for preparing a copy of the document. (Causes delay in examination).
- To let electronic document fall from height (this can destroy the data).
- To place electronic document near a beat source at high temperature or near a magnet (the data can be destroyed if done so).

(e) <u>Fingerprints, Footprints, Shoeprints and Tyre Marks</u>

- Use good light source to locate the prints. (Dim light source can't help locating prints).
- Must photograph the prints. You cant have second chance to preserve them if destroyed while lifting.
- If such prints / marks are in dust make the use of DLK (Dust mark Electrostatic Lifting Kit) which lifts the prints with all details.

- Completely dry the plaster casts to avoid breaking in transportation.
- Use fine grainless fingerprint powders. (Grain containing powders will destroy the prints).
- Never use wet powders. (Dry them before use).
- Never pray Fingerprint Powder on a wet surface. (The source must be dried before applying powder else the print will be destroyed).

NOTE:

1. For packing and forwarding instructions see BPR & D Training Manual for Police Officers, 1998, written by Dr. M.B. Rao or the instructions prepared by your own lab or metropolitan police Forensic Science Laboratory London be consulted.
2. If the investigating Officer do not commit the above stated mistakes, the crime investigation can certainly be done more effectively and efficiently.

अपराध अन्वेषण हेतु मार्गदर्शी संकेत

लेखक

डा0 जे आर गौड़

पूर्व निदेशक न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

हिमाचल प्रदेश

'' महत्वपूर्ण समीक्षा में संक्षिप्त उद्धरण के अतिरिक्त अनुवाद या अंश या प्रतिलिपि प्रस्तुत करने सहित इस पुस्तक के सभी अधिकार लेखक के पास सुरक्षित हैं । यह पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नहीं बल्कि लेखक के निजी विचार हैं ''।

अपराध अन्वेषण हेतु मार्गदर्शक पुस्तिका

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट

- तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट न लिखकर मनघड़ंत कहानी लिख देना। न्यायालय इस प्रकार की कहानियों को संदेहास्पद जानकर अपराध के मामलों में अभियुक्तों को बरी कर देते हैं।
- अपराध घटनास्थल की जगह प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्यत्र दिखा देना, जिसको भौतिक साक्ष्य सत्यापित न करते हों। इससे अपराध के मुकदमे न्यायालय में फेल हो जाते हैं।
- कई बार पुलिस इनक्वेस्ट रिपोर्ट में दर्शाए गये वस्त्रों तथा चोट आदि का विवरण शव परीक्षा रिपोर्ट से मेल नहीं खाता है। इस आधार पर न्यायालय संदेह का फायदा अभियुक्त को देकर उसे छोड़ देते हैं।
- पुलिस द्वारा उत्पीड़ित/मृतक की सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया हुलिया तथा कद की लम्बाई शव परीक्षा रिपोर्ट से भिन्न होती है जो न्यायालय में संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न करती है।
- कई बार प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्य रोजानामचे में दर्ज की गई दैनिक रिपोर्ट से मेल नहीं खाते हैं और स्थिति संदेहास्पद हो जाती है और जिसका लाभ अभियुक्त को मिल जाता है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की सही धाराएं नहीं लगाई जाती जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वास्तव में क्या अपराध किया गया है।
- यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध घटनास्थल परीक्षण से पहले लिखी गई हो तो उसका विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में करना चाहिए जिससे न्यायालय में स्थिति स्पष्ट रहे।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपराध करने में निभाई गई भूमिका उल्लेख होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है और उसका कितना दोष है।

2. अपराध घटनास्थल परीक्षण

- अपराध घटनास्थल का परीक्षण अविलम्ब करना चाहिए। जितना विलम्ब होता है, भौतिक साक्ष्यों के नष्ट होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है।
- यदि अपराध घटनास्थल को ठीक प्रकार से परिरक्षित नहीं किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर छेड़छाड़ करके वस्तुस्थिति को बिगाड़ सकता है।
- नक्शा मौका ठीक प्रकार से नहीं बनाया जाता। इससे अपराध घटनास्थल पर सही स्थिति का ब्यौरा नहीं मिलता।

- आसपास के चिन्ह तथा दिशा नक्शे मौके पर नहीं दर्शाए जाते, जिससे घटनाओं का परस्पर संबंध पता नहीं चलता।
- नक्शे में दर्शाई गई वस्तुओं की परस्पर दूरी नहीं दिखाई जाती, जिससे वस्तुओं की आपसी दूरी का पता नहीं चलता।
- अपराध घटनास्थल की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी अवश्य की जानी चाहिए। इससे अपराध घटनास्थल ज्यों का त्यों रिकार्ड हो जाता है और इसे पुनः देखा जा सकता है। फोटो लेते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर तथा पैमाना फोटो में दिखने चाहिए।
- सभी प्रदर्शों तथा दस्तावेजों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर न दर्शाना। इससे बाद में यह पता नहीं चलता कि कौन सा प्रदर्श तथा दस्तावेज किस मामले का है।
- अपराध घटनास्थल का परीक्षण करते समय रबड़ के दस्ताने न पहनना (विशेषज्ञ तथा अन्वेषण अधिकारी विभिन्न प्रदर्शों पर अपने अंगुलछाप तथा जैविक साक्ष्य छोड़ सकते हैं)।
- अन्वेषण अधिकरी अज्ञानतावश अपने हाथों तथा पैरों से अपराध घटनास्थल पर चलते समय भौतिक साक्ष्य नष्ट कर देते हैं (चलते समय ध्यान रखें कि कोई भौतिक साक्ष्य नष्ट न हो और उसे पहचान कर परिरक्षित कर दिया जाए)।
- कई बार नक्शा मौका पढ़ने योग्य नहीं होता (अच्छी प्रति तैयार करें और फोटोप्रति प्रयोग करें, कार्बन कापी न बनाएं)।
- अंगुलछाप, पदचिन्ह, टायरमार्क्स तथा टूल मार्क्स का अपराध घटनास्थल से न उठाया जाना। ऐसा करने से हम महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य छोड़ देते हैं जो मामले में कई बार निर्णायक होती है।
- अपराध घटनास्थल से उठाए गए खाली कारतूस गोली तथा अंगुलछाप को बंदूक तथा अपराधी की धरपकड़ से पहले प्रयोगशाला में सुरक्षित रखने हेतु न भेजना। इससे न्यायाधीश के मन में संदेह हो सकता है कि कहीं पेंडिंग तो नहीं हुई है।

3. प्रयोगशाला परीक्षण हेतु माल मुकदमा भेजते समय गलतियां/त्रुटियां

- प्रदर्शों की पैकिंग इस प्रकार से की जानी चाहिए कि उनको कोई नुकसान न हो (हर भौतिक साक्ष्य की पैकिंग की हिदायतें देखें)।
- भौतिक साक्ष्यों को छूने से पहले रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए जो आमतौर पर अन्वेषण अधिकारी नहीं पहनते।
- कई बार डाकेट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या नहीं लिखी जाती (इसके लिखे बिना एफ0 एस0 एल0 या एफ0 पी0 बी0 परीक्षण हेतु प्रदर्श स्वीकार नहीं करेंगे)।
- प्रत्येक प्रदर्श को उसके अंशों सहित पूर्णतया एकत्र करके उठाकर अलग–अलग पैक करना चाहिए। जो प्रश्न रिपोर्ट लेने हेतु पूछने हैं,

उनका विस्तृत विवरण देना चाहिए अन्यथा कोई भी प्रयोगशाला हर बिन्दु पर आपको प्रतिवेदन नहीं देगी।

- पार्सल के कवर पर यह न लिखना कि उसके अन्दर क्या है। इससे यह पता नहीं चल पाता कि सीलबन्द पार्सल के अन्दर क्या है।
- रोड सर्टिफिकेट प्रदर्शों के साथ नहीं भेजा जाता है। इससे प्रदर्शों की चेन आफ कस्टडी न्यायालय में साबित नहीं की जा सकती।
- रोड सर्टिफिकेट में दर्शाया गये पार्सलों का ब्यौरा डाकेट में दिए गए विवरण से मेल नहीं खाता है। प्रयोगशाला ऐसी परिस्थिति में परीक्षण हेतु प्रदर्शों को स्वीकार नहीं करती है।
- प्रदर्शों पर लगी सीलें पढ़ने योग्य नहीं होती (इससे यह संदेह होता है कि प्रदर्शों से छेड़छाड़ की गई है)।
- असत्यापित नमूना मोहर भेज दी जाती है (नमूना मोहर सबूत हेतु सत्यापित होनी चाहिए)।
- कई बार नमूना मोहर पढ़ने योग्य नहीं होती (एफ0एस0एल0) और न्यायालय के मन में संदेह पैदा करता है।
- अधिकृत प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से लेकर प्रदर्शों के साथ नहीं भेजा जाता (प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे गए प्रदर्शों को स्वीकार नहीं करेगी)।
- पार्सलों पर दर्शाए गए विवरण का तरल के लीकेज के कारण मिट जाना संदेह पैदा करता है (लीकप्रूफ कंटेनर का प्रयोग करें)।
- प्रदर्शों को कब्जे में लेने के तुरन्त बाद अविलम्ब प्रयोगशाला परीक्षण हेतु न भेजना (जैविक साक्ष्य सड़ जाते हैं और परीक्षण योग्य नहीं रहते)।

4. भौतिक/वैज्ञानिक साक्ष्यों को उठाते, परिरक्षित करते, पैक करते और प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजते समय की जाने वाली गलतियाँ/त्रुटियाँ

(क) जैविक साक्ष्य

(i) रक्त तथा अन्य जैविक द्रव्य तथा रंजित प्रदर्श

- प्रदर्शों को रबड़ के दस्ताने पहन कर न उठाना और अपने साक्ष्य मिश्रित कर देना (दस्ताने पहनें)।
- प्रदर्शों को बिना सुखाए इकट्ठे पैक कर देना, इससे साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं (सुखा कर पैक करें)।
- प्रदर्शों के नमूने एफ0टी0ए0 कार्ड पर न लेना (डी0एन0ए0 परीक्षण में असुविधा होती है और नमूने खराब हो जाते हैं)।

- परीक्षण हेतु नमूने कम मात्रा में उठाना (कम से कम 10 बाल, 1X1 ईंच रक्त का धब्बा अथवा 20 नैनोग्राम डी0एन0ए0 अवश्य भेजें)।
- नमूने को सड़ने से पहले परिरक्षित करके परीक्षण न करवाना (विलम्ब होने पर प्रदर्श सड़ जाते हैं)।

(ii) बाल

- सफेद बाल को रंगदार, मिश्रित बालों को भूरे तथा काले बालों को सफेद कागज में पैक न करना (बाल गुम हो सकते हैं)।
- संदिग्ध अथवा अपराधी से बालों के कम से कम दस नमूने लेकर भेजना (दस से कम बाल परीक्षण हेतु पर्याप्त नहीं होते)।
- बालों को उखाड़कर जड़ समेत न भेजना (कोशिका/नाभिकीय डी0एन0ए0 परीक्षण नहीं किया जा सकता)।

(iii) हड्डियाँ

- हड्डियों को डाक्टर से साफ करवाकर न भेजना (सड़ने पर हड्डियों में फफूँदी लग जाती है जो जैविक साक्ष्य को नष्ट कर देती है)।
- डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु उपयुक्त हड्डी ह्यूमरस, फीमर, टिबिया आदि को परिरक्षित न करना/करवाना (निर्णायक परिणाम प्राप्त नहीं होते)।
- जली हुई हड्डियों को रूई में पैक करके सख्त डिब्बे में डालकर न भेजना (ये हड्डियाँ भुरभुरी होने के कारण लाते समय टूट जाती है)।

(iv) पौधों के अवशेष (तना, बीज, पत्ते आदि)

- नमूना उपयुक्त मात्रा में न लेना (कम से कम 2X2X2 ईंच लकड़ी का टुकड़ा, पाँच बीज और पाँच पत्ते अवश्य भेजने चाहिए)।
- प्रदर्शों को अलग–अलग पैक न करना और टूटने से न बचाना (साक्ष्य नष्ट हो जाता है)।
- नमूनों को नमी से बचाकर पैक न करना (नमी के कारण फफूँदी लगकर नमूने खराब हो जाते हैं)।

(v) अस्त्र–शस्त्र

- अस्त्र–शस्त्र (बंदूक, लाठी, कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार आदि) को भेजते समय उन पर लगे रक्त के धब्बों और बालों आदि को कागज लपेटकर और धागा बाँधकर परिरक्षित न करना (रगड़ लगकर धब्बे नष्ट हो सकते हैं)।

(ख) रासायनिक साक्ष्य

(i) विसरा

- कई बार डॉक्टर विसरा को नमक के घोल में परिरक्षित न करके नमक के तेजाब, गन्धक के तेजाब, शोरे के तेजाब अथवा फार्मेलीन के घोल में गलती से परिरक्षित कर देते हैं (इससे विसरा परीक्षण योग्य नहीं रह जाती)।
- विसरा की उपयुक्त मात्रा परीक्षण हेतु न भेजना। कम से कम 50 ग्राम विसरा और 5 मि0ली0 रक्त और मूत्र के नमूने परीक्षण हेतु भेजने चाहिए।
- अल्कोहल परीक्षण हेतु रक्त तथा मूत्र का नमूना परिरक्षित न करवाना और परीक्षण हेतु न भेजना (विसरा से अल्कोहल जाँच ठीक नहीं होती, क्योंकि सड़ी हुई विसरा में अल्कोहल अपने आप पैदा हो जाती है। इस प्रकार का परिणाम जाँच को पथभ्रष्ट कर सकता है।
- विसरा के लीक कर रहे डिब्बों को परीक्षण हेतु भेजना (आम जनता और लाने वाले व्यक्ति को बद्बू आती है और संक्रमण भी हो सकता है)।
- विष/अल्कोहल की बोतलों और डिब्बों से घटनास्थल पर अंगुलछाप न उठाना (यदि उठाया जाए तो यह पता किया जा सकता है कि इन वस्तुओं से उत्पीड़ित का संपर्क रहा है या किसी और का)।

(ii) फिनोलफथलीन के नमूने

- रिश्वतखोरी के मामलों में फिनोलफथलीन टेस्ट के लिए हैंडवाश तथा पाकेटवाश क्लोरीनेटिड टैप वाटर में लेना (पानी में क्लोरीन होने से गुलाबी रंग पानी में नहीं आ पाता। अतः नमूने हैन्डपम्प के पानी अथवा डिस्टिल्ड वाटर में लेने चाहिए)। जब गवाह को

गुलाबी रंग नमूने में नहीं दिखता तो वह न्यायालय में भी यही बताता है और शक के फायदे से अपराधी छूट जाता है।

(iii) ड्रग्स तथा स्वापक पदार्थ

- टेस्ट हेतु नमूना कम भेजा जाता है। कम से कम 1–2 ग्राम नमूना अवश्य भेजना चाहिए।
- एक जैसा प्रतिनिधित्व (Homogenous Representative) नमूना नहीं भेजा जाता (सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवश्यक है)।
- स्पॉट टेस्ट किट का बाहरी क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान के अभाव में ठीक प्रकार प्रयोग नहीं किया जाता (नमूनों को स्पॉट पर पता नहीं चल पाता कि क्या है)।
- ड्रग और स्वापक पदार्थों का सही भार/मात्रा डाकेट में लिखकर नहीं भेजी जाती (बचाव पक्ष नमूनों को नहीं अपनाता और कहता है कि वह नमूना उनका नहीं है और अपराधी छूट जाता है)।
- अपनी तलाशी देकर अभियुक्त की तलाशी एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रावधान के अनुसार नहीं ली जाती। यदि ली भी जाती है तो संबंधित प्रपत्र केस फाईल का भाग नहीं बनाया जाता (इससे अपराधी बरी हो जाते हैं)।
- एक्ट के प्रावधान के अनुसार नमूने 24 घंटे के अंदर प्रयोगशाला में जमा नहीं करवाए जाते (अपराधी छूट जाते हैं)।
- एन0सी0बी0 फार्म ट्रिपलीकेट में भरकर नहीं भेजे जाते (अत्यन्त आवश्यक है)।
- फार्म पर नमूना मोहर नहीं लगाई जाती (प्रयोगशाला नमूनों को परीक्षण हेतु स्वीकार नहीं करेगी)।
- भेजे गए प्रदर्शों के पार्सल पर लगाई गई सीलों की मात्रा नहीं दर्शाई जाती (संदेह के फायदे से अपराधी छूट जाता है)।
- सील/मोहर स्पष्ट नहीं पढ़ी जा सकती (संदेह का फायदा अपराधी को मिल सकता है)।

(iv) रासायनिक परीक्षण के अन्य मामले

- एक्साईज के मामलों में अल्कोहल जाँच हेतु रेन्डम सैम्पल न भेजकर सारी मात्रा टेस्ट हेतु भेज देना (एफ0एस0एल0 का कार्यभार बढ़ जाता है)।
- ज्हरीली गैस के नमूने गुब्बारों में नहीं लिए जाते। पेट्रोलियम पदार्थों के अवशेषों को वायुरूद्ध डिब्बों तथा थैलियों में पैक न करना (इन पदार्थों के उड़ते रहने से प्रदर्शों में पदार्थ नहीं पाए जाते)।

- अम्ल और क्षार को शीशे तथा प्लास्टिक की बोतलों में डालकर न भेजना (लाते समय दुर्घटना हो सकती है)।
- गैस विषाक्तन के मामलों में रक्त के नमूने परीक्षण हेतु न भेजना (महत्वपूर्ण साक्ष्य छूट जाते हैं)।

(ग) भौतिक, अग्नेयशस्त्र तथा विस्फोटक साक्ष्य

(i) भौतिक साक्ष्य

- अन्वेषण अधिकारियों द्वारा टूलमार्क्स को परिरक्षित करके परीक्षण हेतु न भेजना (महत्वपूर्ण साक्ष्य छूट जाते हैं)।
- सीमेन्ट, कंकरीट तथा अन्य इमारती सामान के नमूनों का प्रतिनिधि नमूना लेकर परीक्षण हेतु न भेजना (न्यायसंगत परीक्षण हेतु चाहिए)।
- पदचिन्हों तथा टायरचिन्हों के प्लास्टर कास्ट ठीक प्रकार से पैक करके न भेजना, जो प्रयोगशाला लाते समय यात्रा के दौरान ही टूट जाते हैं (महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो जाता है)।
- इन्जन और चैसिज नम्बर निकलवाने हेतु वाहन को तुरन्त प्रयोगशाला नहीं भेजा जाता है (इससे खड़ी–खड़ी गाड़ियाँ लोहे का ढांचा बन जाती हैं और पब्लिक सम्पत्ति का नुकसान होता है)।
- अपराध घटनास्थल अथवा वाहन से लिए गए पेन्ट के टुकड़ों को पेन्ट की डिब्बी में डालकर भेज देना (पेन्ट का नमूना दूसरे पेन्ट में मिलकर खराब हो जाता है)।
- औजार चिन्हों के साथ तुलना हेतु संदिग्ध औजार न भेजना (तुलना संभव नहीं)।

(ii) अग्नेय शस्त्र

- छर्रे, गोली, वैड, खाली खोल कारतूस जो अपराध घटनास्थल से मिले हों, को अग्नेय शस्त्र की रिकवरी से पहले सुरक्षित रखने हेतु प्रयोगशाला न भेजना (पेडिंग का संदेह होता है)।
- अग्नेय शस्त्र को खाली करके न भेजना (दुर्घटना हो सकती है)।
- अग्नेय शस्त्र को पूरी तरह कपड़े की थैली में पैक करके न भेजना (अग्नेय शस्त्र से छेड़छाड़ की जा सकती है)।
- गोली तथा खाली कारतूस को रूई में लपेटे बिना धातु की डिब्बी में डालकर भेजना (चिन्ह बन सकते हैं और खरोंच आ सकती है)।
- रक्त रंजित गोली तथा छर्रों को धोकर साफ करके प्रयोगशाला भेजना (रक्त की साक्ष्य समाप्त हो जाती है)।

- साक्ष्य को कब्जे में लेते समय दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर फर्द पर न करवाना (न्यायालय में ऐसे साक्ष्यों का कोई महत्व नहीं होता)।

(iii) विस्फोटक

- जिन्दा विस्फोटक को लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना (दुर्घटना हो सकती है)।
- आई0ई0डी0 को मौके पर डिफ्यूज न करवा कर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु लेकर चल पड़ना (दुर्घटना हो सकती है)।
- विस्फोटक को विधिपूर्वक पैक करके न लाना (दुर्घटना का कारण बन सकता है)।
- मृतक और संदिग्ध से गनशाट रेजिड्यू हेतु स्वैब न लेना (महत्वपूर्ण साक्ष्य छूट जाता है)।
- विस्फोटक प्रदर्श के पार्सल पर चिन्हित न करना कि उसमें विस्फोटक है (दुर्घटना का कारण बन सकता है)।

(घ) पेपर तथा इलेक्ट्रानिक डॉक्यूमेन्ट

(i) पेपर डॉक्यूमेन्ट

- नमूना हस्ताक्षर/लिखाई उपयुक्त मात्रा में परीक्षण हेतु न भेजना (कम से कम पाँच सीट/मान्य लिखाई भी भेंजे)।
- मान्य हस्ताक्षर/लिखाई के नमूने तुलना हेतु न भेजना (निर्णायक परिणाम नहीं मिलता)।
- नमूनों को अधिकृत गवाहों/सक्षम अधिकारी के सामने न लेना (न्यायालय ऐसी रिपोर्ट को महत्व नहीं देते)।
- नमूना लेते समय उसी प्रकार के कागज और पेन का प्रयोग न करना जिस प्रकार का संदिग्ध लेख में प्रयोग किया गया हो (और भिन्नताएं आती है, तुलना कठिन हो जाता है)।
- संदिग्ध और सैम्पल लेख को चिन्हित न करना (तुलना करते समय संशय होता है)।
- जाँच हेतु भेजे जाने वाले दस्तावेजों पर कुछ और लिखाई कर देना (संदेह पैदा करता है)।
- जले हुए दस्तावेजों/नोटों को सेल्यूलोज ऐसीटेट/नाइट्रेट घोल स्प्रे करके भेजने से पहले परिरक्षित न करना (इस प्रकार के मुरमुरे दस्तावेज लाते समय और छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं)।
- उसी टाईपराइटर अथवा प्रिन्टर का प्रिन्ट न भेजना जिससे संदिग्ध दस्तावेज बना हो (तुलना में निर्णायक परिणाम नहीं मिलते)।

(ii) **इलेक्ट्रानिक डॉक्यूमेन्ट**

- कम्प्यूटर हार्ड डिस्क, पेन ड्राईव, सी0डी0, डी0वी0डी0, फ्लॉपी, मैग्निटिक टेप, सी0पी0यू0, सेलफोन आदि को कब्जे में लेने के बाद पुलिस द्वारा स्वयं चला कर देखना, डॉक्यूमेन्ट की हेस वैल्यू को को बदल देता है और इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेन्ट से मिलने वाले साक्ष्य न्यायालय की निगाह में संदेहास्पद हो जाते हैं। अतः इन उपकरणों को चलाकर नहीं देखना चाहिए और सीधे प्रयोगशाला जाँच हेतु भेजना चाहिए।
- कापी करने हेतु खाली हार्ड डिस्क साथ न भेजना (परीक्षण में विलम्ब करता है)।
- इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेन्ट्स को ऊँचाई से गिरा देना। इससे डाटा खराब हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेन्ट्स को उच्च तापमान अथवा चुंबक के पास रख देना (इससे डाटा खराब भी हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है)।

नोट – उपरोक्त गलतियों/ त्रुटियों को यदि अन्वेषण अधिकारी न करें तो अपराध अन्वेषण में अपेक्षित सफलता मिल सकती है।